प्रश्न :- केंद्र को राज्यों को यह समझाना होगा कि नई शिक्षा नीति सभी को लाभ देती है। टिप्पणी कीजिए।

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कर दी है। यह नीति 21वीं सदी की शैक्षणिक प्रणाली को मांग के अनुरूप परिवर्तित करने के लिए लाई गई है।

यह नीति विभिन्न सुधारों का प्रावधान करती है -

↳ प्राथमिक स्तर से 12 वीं तक या 18 वर्ष की उम्र तक शिक्षा के अधिकार को लागू किया जाएगा।

↳ वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी अर्थात कोई भी वंचित नहीं रहेगा।

↳ 10+2 पद्धति को प्रतिस्थापित कर 5+3+3+4 पद्धति लागू की जाएगी।

↳ परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा।

↳ परख नामक नई टेस्टिंग प्रणाली स्थापित होगी।

↳ प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में मातृभाषा को प्राथमिकता।

हलांकि इन सुधारों को लागू करने के लिए केंद्र को राज्यों से बात करनी होगी क्योंकि -

↳ संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार शिक्षा राज्य का विषय है।

↳ संघीय ढांचे के शासन प्रणाली के कारण कोई भी सुधार राज्यों के सहयोग से ही संभव है।

↳ अलग - अलग राज्यों में अलग - अलग प्रकार राजनैतिक आर्थिक एवं भौगोलिक दशाएं हैं इसलिए उनमें संतुलन भी आवश्

ऐसी स्थिति में निम्न कदम उठाए जा सकते हैं-

↳ केन्द्र को प्रत्येक राज्य के शैक्षणिक ढांचे को समझते हुए उससे इन सुधारों को लागू करने के विषय में बात करनी चाहिए।

↳ राष्ट्रीय उच्च शैक्षणिक वित्तियन परिषद् की स्थापना का प्रावधान है जिसे राज्यों में लागू जरूर किया जाना चाहिए

↳ संसाधनों एवं क्षमता का उचित दोहन सुनिश्चित किया जाए

↳ जिन राज्यों को आवश्यकता हो उन्हें वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया जाय

↳ ज्ञान और कौशल के मध्य उचित संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया जाए।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनु. 21 (क) के तहत प्रदत्त शिक्षा का मौलिक अधिकार और वर्ष 2015 तक वैश्विक साक्षरता के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब केन्द्र और राज्य बिना किसी मतभेद के इस क्षेत्र में मिलकर काम करें।

Q: केन्द्र और राज्यों को समझना होगा कि नई शिक्षा नीति सभी को लाभ देगी। टिप्पणी कीजिए।

Ans: हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा 34 वर्षों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को मंजूरी दी गयी है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना तथा भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस शिक्षा नीति का डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में मसौदा प्रस्तुत किया गया था। इस नीति में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्र और राज्यों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति केन्द्र एवं राज्य सभी के लिए लाभकारी है -

1) इस नीति में 5+3+3+4 की शिक्षा संरचना अत्यंत तर्कसंगत तथा भारत की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप है।

2) पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धति को शामिल करने से देश के प्राचीन शैक्षणिक ज्ञान का विस्तार एवं विकास होगा।

3) 2030 से हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनियोजित की जाएगी। शिक्षा प्राप्ति के बाद हर बच्चे के पास लाइफ स्किल्स का विकास होगा, जिससे वह मनपसंद क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा।

4) इस नीति में रेमेडियल शिक्षण को मुख्यधारा में शामिल करने का सुझाव दिया गया है जिसके तहत स्थानीय स्वयंसेवकों तथा महिलाओं की भागीदारी की बात कही गयी है।

5) SDG-4 वर्ष 2030 के महत्वपूर्ण पहलू गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करने से वैश्विक राष्ट्रों के सम्मुख विशेष पहचान।

6) बहुभाषा एवं मातृभाषा को शामिल करने से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप संस्कृत एवं अन्य सहित विदेशी भाषाओं के सीखने से भारत की दूरदृष्टि प्रकट होगी तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बल मिलेगा।

7) यह शिक्षा नीति देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श करेगी जो न्याय संगत एवं निष्पक्ष समाज के निर्माण में कार्य करेगा।

8) राज्य सरकारों के अधीन संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सहयोग बढ़ेगा। राज्यों में अनुसंधान, क्षेत्रीय भाषा एवं अवसरों को संबल मिलेगा।

9) शासन, उद्योग तथा शोधार्थियों के बीच लाभकारी जुड़ाव का लाभ मिलेगा।

10) भारत की परंपराओं और मूल्यों के अनुरूप 21वीं सदी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुसार विनियमन और गवर्नेंस पर ध्यान रखने से

11) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदाय के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रावधान समतामूलक एवं लोककल्याण के आदर्शों को मजबूती प्रदान करेगा।

12) क्रॉस कटिंग थीम के रूप में लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था तथा ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा का प्रावधान संवैधानिक प्रावधानों को यथार्थ रूप देने में सहयोगी होंगे।

निष्कर्षतः इस शिक्षा नीति में ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ने तथा उच्च गुणवत्ता एवं व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुँच को सुनिश्चित किया है इससे भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा। वैश्विक मंचों पर भारत आर्थिक व सामाजिक विकास, समानता एवं पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति एवं सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा।

केन्द्र व राज्यों को समझना होगा कि नयी शिक्षा नीति सभी के लिए लाभदायक है। टिप्पणी करे :-

21 वीं सदी के भारत ने सत-प्रतिशत साक्षरता दर के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश की 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को बदलकर मानव संसाधन एवं कल्याण मंत्रालय ने नयी शिक्षा नीति-2020 की घोषणा की।

नयी शिक्षा नीति-2020 निम्नलिखित सुधारात्मक उपायों को उपस्थित करती है :-

1. नयी शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की मातृभाषा में शिक्षा के साथ त्रि-भाषा फॉर्मुला के लागु के लिए प्रतिबद्ध है।
2. नयी शिक्षा नीति - विद्यार्थियों की रटंत प्रणाली के अलावा प्रयोगात्मक, व्यावसायिक व खेलो की दुनिया की ओर आँकती है
3. इसमें शिक्षा कें प्रणाली को 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के रूप में लागु
4. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य-परीक्षण की भी उत्तम व्यवस्था
5. वर्तमान प्रणाली में सुधार के साथ शिक्षक-गणों के लिए उचित मानको की स्थापना।

लेकिन अधिकांश राज्यों द्वारा देश की इस नीति को समर्थन के बावजूद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली इसके विपरित दिशा में है।

1. बंगाल नें इस नीति में शास्त्रीय भाषा के रूप में बाग्ला भाषा को शामिल न करने तथा इसे देश संघीय ढाँचे का उल्लंघन बताया है, इसके लिए केंद्र को शिक्षा (राज्य सूची) से सम्बंधित होनें के कारण राज्यो से भी सलाह मशविरा आवश्यक है।

Expt. No. _____ Page No _____ Dated _____

(2) तमिलनाडु ने इसमें विश्व-विद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परिक्षा के प्रावधान पर आपत्ति दर्ज दर्ज करवायी। इसके अन्तर्गत केन्द्र को राज्य की भौगोलिक दशाओं को समझना होगा।

(3) दिल्ली ने उपयुक्त कार्ययोजना का अभाव बताया है, इसके अन्तर्गत को जरूरतमंद राज्य को संसाधन तथा वित्तीय सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए।

इसके अन्तर्गत केन्द्र ने निम्न कदम उठाये हैं:-

(1) देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री द्वारा सभी राज्यों के राज्यपाल, शिक्षामंत्री व कुलाधिपतियों से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से समन्वय स्थापित।

(2) सभी राज्यों के लिए संसाधनों व वित्तीय सहायता का रोडमैप तैयार।

(3) सभी राज्यों में शैक्षणिक विनियमन परिषद् की स्थापना।

अन्ततः

"इस नीति की सफलता के लिए केन्द्र व राज्यों को मिलकर काम करना होगा" → रामनाथ कोविंद

उपर्युक्त कथनानुसार 2025 तक वैश्विक साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी राज्यों व केन्द्र को मिलकर समझना होगा कि यह सभी के लिए लाभदायक है। क्योंकि

"यह किसी सरकार की नीति नहीं बल्कि देश की नीति है"
→ नरेन्द्र मोदी